कार्यालय नगर परिषद नारायणगढ़

जिला मन्दसौर (म0प्र0)

PH- 07424- 244639, Fax No- 07424-244919 and Email- cmonarayangarh@mpurban.gov.in

क्रमांकः– 1532/2016 दिनांकः– 18/07/2016

प्रति,

अपर उपसंचालक एवं
वित्तीय सलाहकार महोदय,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र.
भोपाल

विषयः– नगरीय निकायों के लेखाओं की संपरीक्षा चार्टड अकाउन्टेन्ट के द्वारा कराये जाने के संबंध में।

संदर्भः– श्रीमान् का पत्र क्रमांक लेखां/शा 4/2016/7452 भोपाल दिनांक 15/06/2016 ।

महोदय,

विषयांकित संदर्भ में नगर परिषद नारायणगढ़ जिला मन्दसौर के लेखा वर्ष 2015–16 की लेखा संपरीक्षा चार्टड अकाउन्टेन्ट श्रीपितलिया एण्ड कम्पनी पिपलियामण्डी द्वारा की जाकर लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन इस निकाय को प्रेषित किया गया है जिसकी एक प्रति श्रीमान् की ओर साफ्टकापी ई–मेल के माध्यम एवं हार्डकापी डाक जरीये पत्र के संलग्न श्रीमान् की ओर प्रेषित् है ।

अतः विषयांकित संदर्भ में पालन प्रतिवेदन सादर प्रेषित् है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नारायणगढ़

पृ0क्रमांक 1533/2016 नारायणगढ़, दिनांक 18/07.2016
प्रतिलिपि

संयुक्त संचालक महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर पत्र क्रमांक 2013 दिनांक 29/06/2016 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित्।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नारायणगढ़

नगर परिषद

नारायणगढ़

जिला- मंदसौर (म.प्र.)

ऑडिट रिपोर्ट 2015-16

<u>ऑडिटर</u>

पितलिया एण्ड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

प्रधान कार्यालय : 304, पावापुरी भवन, एम. जी.रोड, बोरीवली (पूर्व), मुंबई- 66

शाखा कार्यालय: 05, रतन निवास, गांधीचौराहा, पिपलिया मंडी, मन्दसौर, (म.प्र.)

+91 9022854334, 9867242087 abhishekpitlia@gmail.com

नगर परिषद, नारायणगढ़

ऑडिट रिपोर्ट 2015-16

क्र. सं.	विवरण	ऑडिटर का अवलोकन
1.	<u>राजस्व का ऑडिट</u>	
I	ऑडिटर विभिन्न स्रोतों से राजस्व की जाँच के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज (राजस्व से सम्बंधित) का लेखा परीक्षा की है, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष नीचे दिए गए है:
II.	ऑडिटर प्राप्त राजस्व का रसीद पुस्तकों के काउंटर फ़ाइलों से मिलान करने के लिए जिम्मेदार है और प्राप्त राजस्व विधिवत संबंधित बैंक खाते में जमा किया जाता है उसकी की भी जाँच करें।	ऑडिटर ने प्राप्त राजस्व को रसीद पुस्तकों के काउंटर फ़ाइलों और बैंक खातों से मिलान कि है और कुछ अनियमितता पाई है: **अनुसूची -1 में देखें.**
III.	प्राप्त राजस्व 2 कार्यकारी दिनों से ज्यादा देरी हो तो, आयुक्त / सीएमओ के नोटिस में तुरंत लाया जाएगा।	ऑडिट के दौरान इस प्रकार के कुछ मामला सामने आये है **अनुसूची -1 में देखें.**
IV	ऑडिटर द्वारा कैश बुक की प्रविष्टियों सत्यापित किया जाएगा।	ऑडिटर ने कैश बुक की प्रविष्टियों की जाँच कि है जो विधिवत पाई गयी है।
V	ऑडिटर की रिपोर्टमें त्रैमासिक और मासिक लक्ष्यों के विरुद्ध राजस्व वसूली का विशेष रूप से उल्लेख होगा। राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की खामि ऑडिटर रिपोर्ट का एक हिस्सा होगी ।	ऑडिटर ने लक्ष्यों के विरुद्ध राजस्व वसूली का लेखा परीक्षा किया है, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष के लिए **अनुसूची-2 देखें.**
VI	ऑडिटर एफ. डी. ब्याज आय की जाँच करेगा और	ऑडिटर ने एफ. डी. ब्याज आय की जाँच कि है और

PITLIA & COMPANY MUMBAI Chartered Accountants

	ब्याज आय विधिवत और समय पर रोकड़ बही में प्रविष्ट कि है उसकी जाँच भी करें।	पाया की ब्याज आय सम्बंधित प्रविष्टियाँ विधिवत रूप से की जा रही है।
VII	यदि निवेश कम ब्याज दरों पर किया हो तो मामलों को आयुक्त /सी. एम. ओ. के नोटिस में तुरंत लाया जाएगा।	ऑडिट के दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है।

2.	<u>खर्चो का ऑडिट:</u>	
I	ऑडिटर सभी योजनाओं के अंतर्गत व्यय की लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज (खर्चो से सम्बंधित) का लेखा परीक्षा की है, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष नीचे दिए गए है:
II	ऑडिटर रोकड़ बही में व्यय सम्बंधित प्रविष्टियों और वाउचर की जाँच करने के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने कैश बुक में व्यय सम्बंधित प्रविष्टियों एवं प्रासंगिक वाउचर की जाँच कि है जो विधिवत पाई गयी है।
III	ऑडिटर मासिक रोकड़ बही की शेष राशि की जांच करेगा और यदि कोई त्रुटि पाई गयी है तो सुधार के लिए एकाउंटेंट को गाइड करने लिए जिम्मेदार है।	ऑडिट के दौरान पाया गया की नगर परिषद कैश बुक शेष एवं बैंक बुक शेष मिलान निरंतर रूप से (मासिक/ त्रेमासिक) नहीं करती है । ऑडिट अवधी में भी दोनों शेष भिन्न पाए गए हे और किसी प्रकार का मिलान भी प्राप्त नहीं हुआ है। प्रबंधन को इस मामले पर गौर करना चाहिए और तुरंत सुधार के लिए निर्देश देने कि सलाह दी जाती है।
IV	ऑडिटर जाँच करेगा की विशेष योजना के लिए आवंटित धनराशि उस विशेष योजना के लिए व्यय	ऑडिटर ने नगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज (खर्चो से सम्बंधित) का लेखा परीक्षा कि

PITLIA & COMPANY MUMBAI Chartered Accountants

	करने के लिए सीमित है, यदि निश्चित सीमा से अधिक व्यय किया है तो भुगतान आयुक्त / सी. एम. ओ. की सूचना में लाया जाएगा।	है और पाया की नगर परिषद ने जो भी खर्च किये है वो दिशानिर्देश एवं नियमों के अनुसार है। परन्तु ऑडिट के दौरान कुछ मामला सामने आये है जो आयुक्त / सी. एम. ओ. की सूचना में लाना आवश्यक हे। निष्कर्ष के लिए **अनुसूची -3 देखें**
V	ऑडिटर जाँच करेगा, कि व्यय दिशानिर्देश एवं सरकार द्वारा जारी किए गए अधिनियमों और नियमों के अनुसार है।	इस सम्बन्ध में निष्कर्ष के लिए **अनुसूची -3 देखें**
VI	ऑडिटर वित्तीय संपत्ति भी चेक करेगा तथा जाँच करेगा, किस भी खर्च वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रतिबंध किये गए हे अथवा नहीं तथा प्रतिबंधित सीमा में खर्च किये है ।	इस सम्बन्ध में निष्कर्ष के लिए **अनुसूची -3 देखें**:
VII	वे सभी मामले जिनमे उचित प्रतिबंध (सैंक्शन) नहीं ली गयी हे ऑडिटर उन्हें रिपोर्ट करेगा, ऑडिटर गत ऑडिट अवलोकन का अनुपालन हुआ के नहीं यह भी सुनिश्चित करेगा, यदि अवलोकन का अनुपालन नहीं हुआ तो आयुक्त / सी. एम. ओ.की सूचना में लाया जाएगा।	इस सम्बन्ध में निष्कर्ष के लिए **अनुसूची -4 देखें**:
VIII	ऑडिटर योजना और परियोजना के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र (यु.सी.) का सत्यापन करेगा, यह उपयोगिता प्रमाण पत्र आय, व्यय एवं स्थायी संपत्ति के निर्माण से मिलान होना चाहिए ।	नगर परिषद ने कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र (यु.सी.) वर्ष 2015-16 के लिए नहीं बनाया है इसलिए उपयोगिता प्रमाण पत्र का आय, व्यय एवं स्थायी संपत्ति के निर्माण से मिलान नहीं हुआ है।

PITLIA & COMPANY MUMBAI Chartered Accountants

3.	<u>बुक कीपिंग का ऑडिट:</u>	
I	ऑडिटर लेखा खातों की जाँच के लिए जिम्मेदार है, लेखा खातों अच्छी तरह से स्टोर है की नहीं उसकी भी सूचना करेगा।	ऑडिटर ने नगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए लेखा खातों की परीक्षा कि है इस सम्बन्ध में निष्कर्ष नीचे दिए गए है:
II	ऑडिटर जाँच एवं सूचना के लिए जिम्मेदार है की नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए खाते को लेखा नियमों के अनुसार लागू बनाए है और अच्छी तरह से स्टोर किये हुए है ।	ऑडिटर ने नगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए खातों जाँच कि है और पाया की नगर परिषद ने खाते को लेखा नियमों के अनुसार बनाए है। परन्तु फायर ब्रिगेड लोग बुक अपूर्ण पाए गए, जिन से ऑडिटर संतुष्ठ नहीं है इस सम्बन्ध में निष्कर्ष के लिए **अनुसूची 4 देखें**
III	ऑडिटर अग्रिम रजिस्टर की जाँच करें और यह रिपोर्ट करे की सभी अग्रिमों की पुनर्प्राप्त शर्तों के अनुसार समय हो रही हैं। गैर-वसूली के सभी मामलों का विशेष रूप से ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख किया जाएगा।	ऑडिट के दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है जो आयुक्त / सी. एम. ओ. की सूचना में लाया जाए।
IV	बैंक सुलह स्टेटमेंट (बी.आर.एस.)का मिलान नगर पारिषद (यु. एल. बी.) के रिकार्ड्स और संबंधित बैंक के रिकॉर्ड से किया जायेगा। यदि नगर पारिषद बैंक सुलह स्टेटमेंट तैयार नहीं कर रहे हैं विशेष रूप से ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख किया जाएगा।	ऑडिट के दौरान पाया गया की नगर परिषद कैश बुक शेष एवं बैंक बुक शेष मिलान निरंतर रूप से (मासिक/ त्रेमासिक) नहीं करती है । ऑडिट अवधी में भी दोनों शेष भिन्न पाए गए हे और किसी प्रकार का मिलान भी प्राप्त नहीं हुआ है। प्रबंधन को इस मामले पर गौर करना चाहिए और तुरंत

PITLIA & COMPANY MUMBAI Chartered Accountants

		सुधार के लिए निर्देश देने कि सलाह दी जाती है। **अनुसूची -5 देखें**
V	ऑडिटर अनुदान रजिस्टर में की गई प्रविष्टियाँ सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार होगा। अनुदान सम्बंधित प्राप्तिया और भुगतान का मिलान रोकड़ बही की प्रविष्टियों से किया जाएगा।	ऑडिटर ने नगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदान रजिस्टर और रोकड़ बही की प्रविष्टियों जाँच कि है और लेखा नियमों अनुरुप पाया है ।
VI	ऑडिटर स्थायी संपत्ति रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेज की जाँच करने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि स्थायी संपत्ति रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेज उचित अवस्था में नहीं पाए या कुछ खामिया हो तो तुरंत आयुक्त / सी. एम. ओ.की सूचना में लाया जाएगा।	नगर परिषद द्वारा स्थायी संपत्ति रजिस्टर लेखा नियमों के अनुरूप रखा गया है। ऑडिटर रजिस्टर की प्रविस्टियो से संतुष्ट हे परन्तु स्थायी संपत्ति का आवधिक भौतिक सत्यापन नहीं होता है।
VII	ऑडिटर विशेष रूप से परियोजना निधि के भुगतान और प्राप्तियों के खातों का मिलान करेगा।	ऑडिटर ने नगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए परियोजना निधि सम्बंधित दस्तावेज की जाँच कि है और नियमों अनुरुप पाया है ।

PITLIA & COMPANY

4.	<u>स्थायी जमा (ऍफ़.डी.) का ऑडिट:</u>	
I	ऑडिटर सभी स्थायी जमा (ऍफ़.डी.) एवं टर्म जमा का ऑडिट करने लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी स्थायी जमा (ऍफ़.डी.) एवं टर्म जमा की परीक्षा कि है, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष नीचे दिए गए है:
II	ऑडिटर यह सुनिश्चित करेगा कि स्थायी जमा (ऍफ़.डी.) एवं टर्म जमा का समुचित रिकॉर्ड रखा जाता	ऑडिटर ने नगर परिषदअधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी स्थायी जमा (ऍफ़.डी.) एवं टर्म जमा की परीक्षा

PITLIA & COMPANY MUMBAI Chartered Accountants

	है और सभी स्थायी जमा (ऍफ़.डी.) एवं टर्म जमा का नवीकरण समय पर कर रहे हैं।	कि और उचित पाया है, स्थायी जमा (ऍफ़.डी.) एवं टर्म जमा का नवीकरण समय भी पर किया जा रहा हैं।
III	यदि नगर परिषद ने ऍफ़. डी. एवं टर्म जमा प्रचलित दर से कम ब्याज दरों पर निवेश किया हैं तो ऐसे मामलों को तुरंत आयुक्त / सी. एम. ओ. की सूचना में लाया जाएगा।	ऑडिट के दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है जो आयुक्त / सी. एम. ओ. की सूचना में लाया जाए।
IV	ऑडिटर द्वारा ऍफ़. डी. एवं टर्म जमा पर अर्जित ब्याज सम्बंधित प्रविष्टियों को बही खाता में सत्यापित किया जायेगा ।	ऑडिटर ने नगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए रोकड़ बही की प्रविष्टियों जाँच कि है पाया की नगर परिषद ने प्राप्य ब्याज सम्बंधित प्रविष्टियाँ को लेखा नियमों के अनुरुप सालाना प्रविष्ट किया है।

PITLIA & COMPANY

5.	<u>निविदाएं/ बोलियों का ऑडिट:</u>	
I	ऑडिटर सभी निविदाएं / बोली जो नगर परिषद द्वारा आमंत्रित की गयी थी की जाँच करने लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी निविदाएं / बोली सम्बंधित दस्तावेज की परीक्षा कि है, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष नीचे दिए गए है:
II	ऑडिटर जाँच करेगा कि नगर परिषद द्वारा प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया सभी बोलियों के लिए अपनाई गयी हैं।	इस सम्बन्ध में ऑडिटर का यह निष्कर्ष हे की नगर पालिका ने निविदा प्रक्रिया का पालन तो किया हे परन्तु कुछ खामिया भी पाई गयी हे **अनुसूची -6 देखें**.
III	ऑडिटर निर्माण या रखरखाव सम्बंधित कार्य की निविदा शुल्क / बोली प्रोसेसिंग शुल्क / परफॉर्मेंस गारंटी की रसीदों को सत्यापित करेगा।	ऑडिटर ने नगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए सम्बंधित दस्तावेज (निविदा शुल्क/बोली प्रोसेसिंग शुल्क / परफॉर्मेंस गारंटी की रसीद) की जाँच कि है और

PITLIA & COMPANY MUMBAI Chartered Accountants

		नियमों अनुरुप पाया है ।
IV	यदि नगर परिषद ने निविदा के सम्बन्ध में प्रोसेसिंग शुल्क तथा परफॉर्मेंस गारंटी के स्थान पर बैंक गारंटी स्वीकार की है तो उसका भी सत्यापन किया जायेगा।	नगर परिषद द्वारा कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की गयी है।
V	यदि नगर परिषद ने निविदा के सम्बन्ध बैंक गारंटी स्वीकार की है तो बैंक गारंटी की शर्ते भी सत्यापित करें, यदि शर्ते नगर परिषद के हित के विरुद्ध है तो तुरंत आयुक्त / सी. एम. ओ. की सूचना में लाया जाएगा।	नगर परिषद द्वारा कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की गयी है।
VI	यदि नगर परिषद द्वारा स्वीकार की गई बैंक गारंटी के विस्तार के सम्बंधित मामलों आयुक्त / सीएमओ की सूचना में लाया जाएगा तथा ऑडिटर मार्गदर्शन प्रदान करेगा।	नगर परिषद द्वारा कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की गयी है।
VII	ऑडिटर द्वारा अनुबंध बंद सत्यापित किये जाएंगे ।	अनुबंध बंद की जाँच की और संतोष जनक पाया।

PITLIA & COMPANY

6	**<u>अनुदान और ऋण का ऑडिट</u>:**	
I	ऑडिटर नगर परिषद द्वारा लिया गया ऋण एवं सरकार द्वारा दिए गए अनुदान और उसके उपयोग की जाँच के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण एवं सरकारी अनुदान सम्बंधित दस्तावेज की परीक्षा कि है, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष नीचे दिए गए है:
II	ऑडिटर राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान और उसके उपयोग की जाँच के लिए जिम्मेदार है ।	ऑडिटर ने नगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए राज्य सरकार अनुदान और उसके उपयोग सम्बंधित

PITLIA & COMPANY MUMBAI Chartered Accountants

		दस्तावेज की परीक्षा कि है, सम्बन्ध में निष्कर्ष दिए गए **अनुसूची -7 देखें**
III	ऑडिटर नगर परिषद द्वारा लिया गया ऋण (जो भौतिक बुनियादी ढांचे के लिया था) और उसके उपयोग की जाँच के लिए जिम्मेदार है ।	ऑडिटर ने नगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण सम्बंधित दस्तावेज की परीक्षा में पाया की, नगर परिषद द्वारा (एच.यु.डी.सी.ओ.) से ऋण लिया हुआ है तथा इस ऑडिट की अवधी में नगर परिषद ने ऋण सम्बन्धित किश्त का भुगतान समय समय पर किया है तथा ऋण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का डिफ़ॉल्ट नहीं किया है।
IV	ऑडिटर ऑडिट के दौरान विशेष रूप से राजस्व तंत्र पर टिप्पणी करेगा, ऑडिटर यह रिपोर्ट करेगा की ऋण जो संपत्ति ऋण लेकर बनायीं गयी है, उससे वांछित राजस्व उत्पन्न हो भी रही है या नहीं।	ऑडिट के दौरान पाया गया है की, फायर ब्रिगेड सम्बंधित लोग बुक में नगर परिषद द्वारा निरन्तर रूप से प्रविष्टियाँ नहीं की जा रही है, लोग बुक की प्रविष्टियाँ संतोष जनक नहीं पाई गयी है **अनुसूची -4 देखें**
V	ऑडिटर गैर -राजस्व के लिए संभावित कारणों पर टिप्पणी करेगा।	**अनुसूची -4 देखें**
VI	ऑडिटर विशेष रूप से इंगित करेगा की नगर परिषद ने पूंजीगत प्राप्तियों / अनुदान/ ऋण का विचलन किसी भी राजस्व खर्चो में तो नहीं किया है।	ऑडिट के दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमे कोई विशिष्ट विचलन पाया गया हो।

PITLIA & COMPANY MUMBAI Chartered Accountants

अनुसूची क्र. 1

- **प्राप्त राजस्व को रसीद पुस्तकों और बैंक खातों सेमिलान सम्बंधित विवरण**: ऑडिटर ने प्राप्त राजस्व को रसीद पुस्तकों और बैंक खातों से मिलान किया और पाया कि नगर परिषद ने गत वर्ष की प्राप्त राजस्व को बैंक में जमा समय पर जमा नहीं करवाया है, ऑडिट के दौरान कुछ अनियमितता सामने आई है, ऑडिटर ने इस सम्बन्ध में 2 कार्य दिवसों से अधिक देरी वाले तथ्यों की खोज की है वो इस प्रकार है:

संग्रह दिनांक	बैंक में जमा राशि की तारीख	प्राप्ति के प्रकार	राशि	विलंब की अवधि
10-04-2015	13-04-2015	विविध प्राप्तिया	24935/-	3 दिन
17-04-2015	20-04-2015	विविध प्राप्तिया	10597/-	3 दिन
02-05-2015	05-05-2015	विविध प्राप्तिया	4600/-	3 दिन
08-05-2015	11-05-2015	विविध प्राप्तिया	14996/-	3 दिन
15-05-2015	18-05-2015	विविध प्राप्तिया	73419/-	3 दिन
22-05-2015	25-05-2015	विविध प्राप्तिया	6590/-	3 दिन
12-06-2015	15-06-2015	विविध प्राप्तिया	28043/-	3 दिन
19-06-2015	22-06-2015	विविध प्राप्तिया	5869/-	3 दिन
10-07-2015	13-07-2015	विविध प्राप्तिया	3385/-	3 दिन
17-07-2015	20-07-2015	विविध प्राप्तिया	2150/-	3 दिन
07-08-2015	10-08-2015	विविध प्राप्तिया	1480/-	3 दिन
14-08-2015	17-08-2015	विविध प्राप्तिया	2030/-	3 दिन
28-08-2015	31-08-2015	विविध प्राप्तिया	840/--	3 दिन
04-09-2015	07-09-2015	विविध प्राप्तिया	1700/-	3 दिन
11-09-2015	14-09-2015	विविध प्राप्तिया	2084/-	3 दिन
18-09-2015	21-09-2015	विविध प्राप्तिया	2711/-	3 दिन
24-09-2015	28-09-2015	विविध प्राप्तिया	1475/-	4 दिन
09-10-2015	12-10–2015	विविध प्राप्तिया	1445/-	3 दिन
16-10-2015	19-10-2015	विविध प्राप्तिया	8036/-	3 दिन
23-10-2015	26-10-2015	विविध प्राप्तिया	6800/-	3 दिन
13-11-2015	16-11-2015	विविध प्राप्तिया	5135/-	3 दिन
27-11-205	30-11-2015	विविध प्राप्तिया	9180/-	3 दिन
11-12-2015	14-12-2015	विविध प्राप्तिया	14357/-	3 दिन
18-12-2015	21-12-2015	विविध प्राप्तिया	13654/-	3 दिन
23-12-2015	28-12-2015	विविध प्राप्तिया	23615/-	5 दिन
08-01-2016	11-01-2015	विविध प्राप्तिया	24399/-	3 दिन
15-01-2016	18-01-2016	विविध प्राप्तिया	12478/-	3 दिन
12-02-2016	15-02-2016	विविध प्राप्तिया	13076/-	3 दिन
19-02-2016	23-02-2016	विविध प्राप्तिया	29636/-	4 दिन
26-02-2016	29-02-2016	विविध प्राप्तिया	48814/-	3 दिन
05-03-2016	08-03-2016	विविध प्राप्तिया	21944/-	3 दिन
10-03-2016	14-03-2016	विविध प्राप्तिया	21737/-	3 दिन

PITLIA & COMPANY MUMBAI Chartered Accountants

18-03-2016	21-03-2016	विविध प्राप्तिया	85834/-	3 दिन
24-03-2016	28-03-2016	विविध प्राप्तिया	33729/-	4 दिन

अनुसूची क्र. 2

राजस्व लक्ष्य और वसूली का विवरण:

राजस्व के प्रकार	राजस्व के वर्तमान लक्ष्य	वर्तमान राजस्व संग्रह	बकाया राजस्व का लक्ष्य	राजस्व की बकाया संग्रह	कुल वसूली % में
संपत्ति कर	186,500/-	109,429/-	122,436/-	53,436/-	52.72%
समेकित कर	270,000/-	168,200/-	146,251/-	113,160/-	67.59%
जल कर	912,000/-	552,320/-	398,525/-	243,694/-	60.74%
शिक्षा उपकार	23,973/-	15,244/-	17,478/-	6471/-	52.39%
विकास उपकार	27,000/-	26,900/-	20,641/-	17,159/-	92.48%
भूमि भवन किराया	50,000/-	37,601/-	35,000/-	19,292/-	66.93%
कुल	**14,69,473/-**	**9,09,694/-**	**740,331/-**	**453,212/-**	**61.68%**

PITLIA & COMPANY

अनुसूची क्र. 3

आवंटन की सीमा से व्यय का विवरण:

- **दैनिक आधार पर मजदूरी:** यह देखा गया है कि नगर परिषद ने दैनिक मजदूरी के आधार पर व्यक्तियों को काम पर रखा है।यह उल्लेखनीय है कि दैनिक आधार पर मजदूरी प्रबंधन द्वारा कड़ाई से निषिद्ध है, लेकिन ऑडिट वर्ष के दौरान निम्न व्यक्तियों को दैनिक आधार मजदूरी भुगतान किया हे उसका विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र.	मासिक	रुपये
1	कैलाश शर्मा	125963/-
2	जीतेन्द्र पाटीदार	104136/-
3	मदन सिंह	93622/-
4	बलवंत सिंह राजपूत	93622/-
5	नन्दलाल माली	83514/-
6	भारत सिंह	87387/-
7	विनोद घसीजी	78907/-
8	गोविन्द यादव	85683/-
9	निसार खान	80764/-
10	ईशवर सिंह	84661/-
11	रफीक खान	73779/-
12	राजेंद्र सिंह	72497/-
13	गोपाल पाटीदार	74843/-
14	अंतिम हरीश चन्द्र	59992/-

PITLIA & COMPANY MUMBAI Chartered Accountants

15	माया प्रकाश चन्द्र	84726/-
16	डाली बाई सुभाष	86672/-
17	सुनीता विजेश	79373/-
18	रानी कमल कुमार	85672/-
19	रूपा बाई राजेंद्र	77434/-
20	विनोद लोट	76622/-
21	रेखा रामपाल	72778/-
22	अनिल श्यामलाल	74853/-
23	पंकज मोरया	71124/-
24	राजपाल महिपाल	72291/-
25	प्रकाश कंवरलाल	72458/-
26	चमु बाई	74853/-
27	रेखा सतीश	74218/-
28	विमल मदन लाल	73145/-
29	राजेंद्र बसंतीलाल	74853/-
30	नीतू बाई	65976/-
31	नद किशोर परमार	119030/-
32	अर्पित शर्मा	117037/-
33	दीपेश पुरोहित	103845/-
	कुल	27,56,330/-

PITLIA & COMPANY

अनुसूची क्र. 4

फायर ब्रिगेड सम्बंधित विवरण:

ऑडिट के दौरान पाया गया हे की, फायर ब्रिगेड सम्बंधित लोग बुक में नगर परिषद द्वारा निरन्तर रूप से प्रविष्टियाँ नहीं की जा रही है, लोग बुक की प्रविष्टियाँ संतोष जनक नहीं पाई गयी है. ऑडिटर एक और महत्वपूर्ण तथ्य रोशनी डालना चाहते हे, नियम के अनुसार यदि फायर ब्रिगेड नगर परिषद सीमा के बहार बुलाई जाती है तो सम्बंधित नगर परिषद या ग्राम पंचायत जिसके सीमा क्षेत्र में फायर ब्रिगेड बुलाई गयी हे, उससे शासन द्वारा निर्धारित शुल्क चार्ज किया जाना चाहिए, नगर परिषद द्वारा इस प्रकार के कोई शुल्क अभी तक वसूला नहीं गया है, प्रबंधन को इस तथ्य के सम्बन्ध में नगर परिषद से चर्चा करना चाहिए और सुधर के लिए तुरंत उचित आदेश देने की सलाह दी जाती है।

5% वार्षिक संचित निधि में हस्तांतरण: मध्य प्रदेश म्युन्सिपल कारपोरेशन रूल्स 1962 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य की सभी नगर परिषद को वार्षिक आय का 5% संचित निधि में हस्तांतरित करना अनिवार्य हैं, ऑडिटर ने दस्तावेजों

PITLIA & COMPANY MUMBAI Chartered Accountants

की जाँच की और पाया की नगर परिषद मध्य प्रदेश म्युन्सिपल कारपोरेशन रूल्स १९६२ का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रही हैं अर्थार्थ 5% वार्षिक संचित निधि में हस्तांतरण नहीं किया हे, प्रबंधन को इस विषय में नगर परिषद से चर्चा करना चाहिए

अनुसूची क्र. 5

बैंक बैलेंस एवं कॅश बुक बैलेंस मिलान सम्बंधित विवरण: ऑडिट के दौरान पाया गया की नगर परिषद द्वारा कैश बुक शेष एवं बैंक बुक शेष मिलान निरंतर रूप से (मासिक / त्रेमासिक) नहीं किया जाता है । ऑडिट अवधी में भी दोनों शेष सामान नहीं पाए गए हे उसका विवरण इस प्रकार हे:

बैंक का नाम	शेष राशि
बैंक शेष	
सेंट्रल बैंक	465,961/-
सेंट्रल बैंक मिड डे मिल	47,632/-
सेंट्रल बैंक संचित निधि	49,713/-
सेंट्रल बैंक 12TH वित्तायोग	57,682/-
स्टेट बैंक सर्व शिक्षा	76,33,873/-
स्टेट बैंक	179,061/-
सेंट्रल बैंक (ऍफ़ डी)	63,68,143/-
कुल बैंक शेष	**1,48,02,065/-**
जरी किये चेक बैंक में नहीं आये है	219,117/-
कॅश बुक शेष	**1,31,29,476/-**
अंतर	**14,53,472/-**

अनुसूची क्र. 6

निविदाएं / बोलियों सम्बंधित विवरण

- **निर्माण कार्य समाप्ति कार्य आदेश से देरी सम्बंधित विवरण:** ऑडिटर ने नगर परिषद द्वारा निमंत्रित निविदा सम्बंधित दस्तवेज की जाँच की और पाया कि नगर परिषद ने नियम के अनुसार निविदा प्रक्रिया का पालन किया है, परन्तु ऑडिटर ने कुछ अनियमितता कि खोज है, कुछ कंस्ट्रक्शन ठेके निश्चित कार्य अवधि (कार्य आदेश में इंगित समय के भीतर) में पूर्ण नहीं हुए है तथा नगर परिषद द्वारा किसी प्रकार का समय विस्तार भी नहीं प्रदान किया है, नियम के अनुसार यदि कोई कार्य समय सीमा के भीतर समाप्त नहीं होता है तो ठेकेदर के विरुद्ध दण्ड के रूप में ठेके राशि

का 10 % वसूली की कार्यवाही होनी चाहिए, परन्तु नगर परिषद ने किसी प्रकार कि कोई कार्यवाही नहीं कि है, इस सम्बन्ध में प्रबंधन को नगर पालिका से चर्चा करनी चाहिए।

कार्य	ठेकेदार का नाम	निविदा राशि	फाइनल ठेका राशि	कार्य आदेश दिनांक	समय सीमा	ठेकेदार का प्रमाण पत्र दिनांक	देरी
शौचालय कंस्ट्रक्शन	वसुंधर संरछद	70,75,000/-	-	17/08/2014	17/08/2015	अभी तक प्राप्त नहीं हुआ	12 माह से ज्यादा
मांगलिक भवन निर्माण	शरीफ खा	30,85,591/-	36,74,344/-	19/08/2014	19/02/2015	06/02/2016	12 माह

अनुसूची क्र. 7

सरकारी अनुदान एवं ऋण का विवरण:

क्र. सं.	मुख्य अनुदान	अनुदान प्राप्त	उपयोग	शेष /(ज्यादा उपयोग)
1	चुंगी क्षति पूर्ति	8,234,566/-	8,234,566/-	-
2	मूलभूत अनुदान	3,075,000/-	3,075,000/-	-
3	वित्त आयोग अनुदान	1,937,000/-	1,937,000/-	-
4	सड़क मरम्मत अनुदान	695,000/-	695,000/-	-
5	यात्री कर	421,000/-	421,000/-	-
6	लजल लगन से प्राप्त	32,793/-	32,793/-	-
7	13 वित्त आयोग अनुदान	1,205,000/-	-	1,205,000/-
8	14 वित्त आयोग अनुदान	2,538,000/-	-	2,538,000/-
9	मुख्यमंत्री स्वच्छ मिशन अनुदान	2,621,325/-	2,297,168/-	324,157/-
10	मुख्यमंत्री अनुदान	2,500,000/-	-	2,500,000/-
11	विशेष निधि	2,500,000/-	1,433,284/-	1,066,716/-
12	मुद्रांक शुल्क	207,980/-	207,980/-	-
	कुल	259,67,664/-	25,967,664/-	183,33,791/-

अनुसूची क्र.8

टैक्स प्रावधानों का अनुपालन का विवरण:

टी डी एस प्रावधानों सम्बंधित कटौती का अनुपालन का विवरण:

ऑडिट के दौरान पाया गया हे की नगर परिषद द्वारा टी डी एस कटौती के सम्बन्ध में त्रुटि की है, टी डी एस लागु होने के बाद भी उचित दर के अनुसार कटौती नहीं हुई है विवरण इस प्रकार है:

PITLIA & COMPANY MUMBAI Chartered Accountants

दिनांक	नाम	वा. क्रं.	खर्च राशि	कटौती योग्य	कटौती नहीं की
05/11/2015	पाटीदार टेंट हाउस	557	78000	780/-	780/-
01/01/2016	सांवरिया क्रैन	629	35500	350/-	350/-
04/08/2015	सांवरिया क्रैन	310	6000	60/-	60/-
27/04/2015	कमलेश पाटीदार	65	61350	614/-	614/-
05/08/2015	रुगलेचा न्यूज़	515	43608	437/-	437/-

धन्यवाद

कॉर पितलिया एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

फर्म पंजीयन क्र. 016218 सी

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, नारायणगढ़

सी. ए. अभिषेक पितलिया **दिनांक: 30-06-2016**

पंजीयन क्र. 413249 **स्थान: पिपलिया मंडी**

PITLIA & COMPANY